सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 127 / 18 **निर्णय दिनांकः– 26.07.2018**

1. मूलसिंह पुत्र लाल सिंह जाति राजपूत निवासी गांव करनीसर तसहील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. करणीसिंह पुत्र सुरतसिंह जाति राजपूत निवासी गांव खाखूसर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 22–11–2016
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितः–
1. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 22–11–2016 जिसके द्वारा अपीलांट् की पुश्तैनी भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की पुश्तैनी भूमि जोकि संवत् 2012 से पूर्व अपीलांट के दादा देवीसिंह के नाम से चली आ रही है। जिसका दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार चल रहा है। जिसका उनवान 196 / 2015 है।

अपीलांट की पुश्तैनी भूमि गावं करनीसर के खसरा नम्बर 5 एमजीएम के मुरब्बा नम्बर में 50 बीघा भूमि निहित है। जो सीएडी सर्वे के अनुसार चक 5 एमजीएम के मुरब्बा नम्बर 65/4, 65/12, 65/19, 65/20, 65/28 में 50 बीघा भूमि के रूप में पैमूद हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि में से मुरब्बा नम्बर 65/12 की 22 बीघा 12 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित की गई है। जबकि उक्त भूमि पूर्व से ही अपीलांट की आक्यूपाईड लैण्ड है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बाले—बाले रूप से पारित किया गया है। वादग्रस्त भूमि के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा जैरकार आज दिनांक तक है। उक्त समस्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते हुए भी आवंटन अधिकारी द्वारा नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित करने में कूननी भूल कारित की गई है।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तत्समय ही वादग्रस्त भूमि के बाबत् मौके की रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाती तो यह स्थिति स्वमेव सामने आ जाती की आराजी जैर अपीलांट की आक्यूपाईड व कब्जे काश्त की भूमि है। ऐसी स्थिति मे आवंटन अधिकारी द्वारा कानून व न्याय को ताक पर रखकर वादगत् भूमि को रेस्पोडेन्ट को आवंटित करने में कानूनी भूल की है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा की गई कार्यवाही आवंटन नियमों के विपरीत होने से अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज फरमाया जावे।

उन्होंने मियाद के संबंध में बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर बिना अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया आदेश है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट का वादग्रस्त भूमि से कोई सरोकार नहीं है क्योंकि उक्त भूमि अपीलांट को

आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि नहीं है। अतः अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है। अपीलाधीन आदेश के दिन उक्त भूमि से अपीलांट का कोई हक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नहीं रहा है। जहॉ तक वादग्रस्त भूमि के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किये जाने का प्रश्न है, रेस्पोडेन्ट ने सर्वप्रथम दिनांक 27—05—2004 को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 14—11—2006 को चक 2—3 टीडब्ल्यूएसएम के मुरब्बा नम्बर 207/25 के किला नम्बर 4 ता 7, 11 ता 25 की 19 बीघा कमाण्ड तथा किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 10 में 6 बीघा अनकमाण्ड इसप्रकार कुल 25 बीघा भूमि आवंटित की गई थी, परन्तु उक्त आवंटित भूमि में से किला नम्बर 4 ता 7 तथा 11 ता 16 कुल 10 बीघा भूमि पूर्व में जेतीबाई पुत्री किशनलाल को आवंटित होने के कारण रेस्पोडेन्ट को पुनः चक 20 बीएमबी के मुरब्बा नम्बर 206/22 में भूमि का आवंटन किया गया। उक्त भूमि के आवंटन आदेश अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन के आदेशों के अनुसरण में निरस्त किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से चक 5 एमजीएम के मुरब्बा नम्बर 65/12 के किला नम्बर 2, 3, 5 ता 25 में कुल 22 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट को आवंटित उपरोक्त भूमि से अपीलांट का कोई सरोकार नहीं है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वादग्रस्त भूमि पर उसके हक व हकूक साबित होते हो। अपीलांट द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट को तंग व परेशान करने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट द्वारा निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है व आराजी जैर पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में आवंटन की तमाम प्रकियाऍं पूर्ण हो चुकी है। अपीलाधीन आदेश के समय अपीलांट व्यथित पक्षकार नहीं था। अपीलांट पात्रता से अधिक भूमि के आवंटन को निरस्त कराने की इस्तदुआ लेकर आया है। जबकि उक्त दिनांक को उसके कोई हित प्रभावित नहीं हो रहे थे। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील लोकर स्टेण्डाई व गुणावगुण पर खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—11—2016 के विरूद्व अपील दिनांक 02—01—2018 को पेश की गई है। अपीलार्थी द्वारा मियांद अधिनियम की धारा 5 की दरख्वाश्त में अपील के साथ पेश की गई है। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि अपीलांट द्वारा जानकारी के दिन से अपील पेश की गई है। चूंकि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना है। अतः जानकारी विलम्ब से होने पर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का शमन किया जाता है।

प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि विवादित मुरब्बें की भूमि का कुछ हिस्सा अपीलांट का पुश्तैनी होने तथा कब्जे का उल्लेख होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रभावित पक्ष माना जाकर अपील गुणावगुण पर सुनवाई हेतु निर्धारित की गई।

हस्तगत् प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 करणीसिंह द्वारा अतिरिक्त आयुक्त एवं राएए बीकानेर के आदेश दिनांक 27—05—2004 की पालना में आवेदन पत्र तैयार करवाकर दिनांक 14—11—2006 को चक 2—3 टीडब्ल्यूएसएम के मुरब्बा नम्बर 207/25 का किला नम्बर 4 से 7, 11 से 25 कुल 19 बीघा अनकमाण्ड तथा किला नम्बर 1 से 3 व 8 से 10 कुल 6 बीघा कमाण्ड इस प्रकार कुल 25 बीघा भूमि आवंटित की गई। उक्त आवंटन के पश्चात् जानकारी प्राप्त हुई कि इस मुरब्बें के किला नम्बर 4 से 7 तथा 11 से 16 की 10 बीघा भूमि पूर्व में जेतीबाई पुत्री किशनलाल को आवंटित होकर रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। आवंटन अधिकारी की पत्रावली की नोटशीट दिनांक 12—02—2007 में उल्लेख किया गया है कि उक्त दोहरे आवंटन के पश्चात् आवेदक करणीसिंह के पास 15 बीघा भूमि रहती है, जबकि प्रार्थी की पात्रता 23 बीघा कमाण्ड भूमि की है, उक्त 8 बीघा भूमि के अतिरिक्त आवंटन को सलाहकार समिति के द्वारा जरिये लॉटरी प्रक्रिया द्वारा करने का निर्णय किया गया।

दिनांक 26—04—2010 को प्रार्थी करणीसिंह ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि उसे पूर्व में मुरब्बा नम्बर 207/25 में किया गया आवंटन किसी अन्य को हो जाने के कारण उसे दूसरी जगह भूमि आवंटित की जावे। आवंटन अधिकारी ने पूर्व आवंटित भूमि के संबंध में कोई रिपोर्ट लिये बिना दिनांक 09—11—2010 को चक 20 बीएमबी के मुरब्बा नम्बर 206/22 में 19 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटित कर दी। तत्पश्चात् दिनांक 22—03—2012 को करणीसिंह के पक्ष में पूर्व में दिनांक 09—11—2010 को आवंटन को अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन के आदेशों की पालना में निरस्त करने के आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 22—11—2016 को चक 2—3 टीडब्ल्यूएसएम के 25 बीघा भूमि के आवंटन को निरस्त करते हुए चक 5 एमजीएम के मुरब्बा नम्बर 65/12 के किला नम्बर 2, 3, 5 से 25 कुल 22 बीघा भूमि आवंटन के आदेश जारी किये गये। करणीसिंह द्वारा दिनांक 14—02—2018 को नये सिरे से आंवटन आदेश प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया गया तथा उसी दिन आवंटन आदेश जारी कर दिया गया।

रेस्पोडेन्ट करणीसिंह को किये गये आवंटन में मुरब्बा नम्बर 65/12 के किला नम्बर 1 को शामिल नहीं किया गया है, जिसका उल्लेख अपीलांट के पिता लालसिंह को जारी पासबुक में है। अपीलांट मुरब्बा नम्बर 65/12 के सम्पूर्ण रकबे को अपनी मौरूसी कब्जा काश्त की भूमि बता रहा है, जबकि पासबुक में केवल किला नम्बर 1 का उल्लेख है। इसप्रकार रेस्पोडेन्ट को आवंटित भूमि से अपीलांट का कोई संबंध नहीं होने के कारण अपील खारिज योग्य है।

7. अतः अपीलांट की अपील मियांद बाहर होने तथा सारहीन होने के कारण अस्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—11—2016 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 26.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर